

स्पीड पोस्ट/ई-मेल द्वारा

# भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली -110001

सं.52/2019/एसडीआर/खंड-II

दिनांक: 11 नवंबर, 2019

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,  
झारखंड,  
रांची।

**विषय: डाक मतपत्र के माध्यम से मत देने के इच्छुक वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों हेतु डाक मतपत्र मतदान सुविधा-आयोग की अधिसूचना-तत्संबंधी।**

महोदय,

मुझे उपर्युक्त विषय पर आपके दिनांक 07.11.2019 के पत्र संख्या 6653 और आयोग के दिनांक 02.11.2019 के समसंख्यक पत्र के संदर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोग ने उसमें आपके द्वारा दिए गए प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। तदनुसार, आयोग की दिनांक 02.11.2019 की समसंख्यक अधिसूचना को दिनांक 11 नवंबर, 2019 की अधिसूचना के तहत आंशिक रूप से संशोधित किया गया है। उसकी एक प्रति संलग्न है।

भवदीय,

(एन.टी.भूटिया)

सचिव

**प्रति प्रेषित:-**

उप-निर्वाचन आयुक्त (सीबीके) के  
निजी सचिव, जोनल अनुभाग